



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 13.02.21

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना समाधान दिवस का हुआ आयोजन, 41 शिकायतों का किया गया सफल निस्तारण



आज दिनांक 09-01-21 माह के द्वितीय शनिवार को जनपद के समस्त थानों पर "थाना समाधान दिवस" का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी खीरी, श्री शैलेन्द्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल द्वारा थाना सिंगाही व थाना तिकुनिया पर उपस्थित रहकर "थाना समाधान दिवस" की अध्यक्षता की गई। इस दौरान प्राप्त जनशिकायतों की सुनवाई कर त्वरित व निष्पक्ष जांच कराकर समयबद्ध रूप से विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।

इसके अतिरिक्त अपर पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा थाना खीरी पर तथा समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा सर्किल मुख्यालय के थानों पर उपस्थित रहकर जनशिकायतों का निस्तारण कराया गया। इस दौरान जनपद के समस्त थानों पर कुल 78 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिनमें 41 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष प्रकरण के संबंध में टीम गठित कर जांच हेतु मौके पर भेजी गई।

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित

अभियुक्त बसीम उर्फ प्रधान को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त बसीम उर्फ प्रधान पुत्र बंगाली उर्फ साकिर अली नि० हिदायत नगर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 137/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

थाना गोला पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 08

अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जपनद में अवैध क्रिया कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना गोला पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 08 अभियुक्तों 1.रिहान पुत्र जदा उल्ला 2. जहीर पुत्र नजीर 3. छोटे उर्फ रसीउल्ला पुत्र नजीर खां 4. इकरार पुत्र अवरार 5. नसीम पुत्र मुन्ना 6. गुड्डू पुत्र जफा उल्ला 7. अकिल पुत्र अजी उल्ला निवासीगण अल्लागंज थाना गोला जनपद खीरी 8. कल्लू पुत्र झब्बू नि0 पकरिया थाना नीमगांव जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 1370 रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद किये गये। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 59/21 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 03

अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जपनद में अवैध क्रिया कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना नीमगांव पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 03 अभियुक्तों 1. मुनीष वर्मा पुत्र अमर सिंह नि० मिर्जापुर थाना नीमगांव जनपद खीरी 2. वसीम खाँ पुत्र दानिश खाँ नि० मलिकपुर थाना नीमगांव जनपद खीरी 3. गंगाराम पुत्र रामस्वरूप नि० द्वारिका नगर थाना नीमगांव जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 1290 रुपये व 52 अदद ताश के पते बरामद किये गये। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 31/21 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुए

03 शांति अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार



प्रेस नोट

मोहम्मदी पुलिस का अपराधियों पर शिकंजा, तीन व्यक्तियों को अलग अलग असलहो सहित कुल 34 कारतूस जिन्दा व 07 खोखा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, खीरी के द्वारा प्राप्त शुदा निर्देश रोकथाम जुर्म जरायम तथा वांछित/वारण्टी व अपराधियों की गिरफ्तारी के अनुपालन में व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक श्रीमान ब्रजेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में आज दिनांक 13.02.2021 को उ०नि० कृपेन्द्र सिंह मय हमराह उ०नि० देवकरण शर्मा, उ०नि० मो० मुश्ताक, हे.का. जितेन्द्र सिंह यादव, हे.का. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, हे.का. पवन कुमार सिंह, का. सचिन्द्र मौर्या, का. आशीष दांगी, का.शिवम विश्वकर्मा, का. शिवम यादव, का. राजेन्द्र प्रसाद, म.का. नेहा यादव, हो.गा. बीसी राजाराम के तलाश वांछित/वारण्टी, देखभाल क्षेत्र में ग्राम खजुरिया में वारण्टी लाल मोहम्मदी उर्फ लालू की गिरफ्तारी हेतु मामूर थे। दौरान दबिश ग्राम खजुरिया में वारण्टी लाल मोहम्मद उर्फ लाल मोहम्मद की गिरफ्तारी हेतु वारण्टी लाल मोहम्मद के घर के पास पहुंचे तो तीन व्यक्ति नावक समय में खड़े थे। जो पुलिस वालों को देखकर सकपका कर भागने का प्रयास करने लगे, जिस पर पुलिस टीम द्वारा हिंमत अमली से तीनों व्यक्तियों को घेर कर समय 03.25 A.M. पर पकड़ लिया गया। जामा तलाशी से तीनों अभियुक्तों के कब्जे से अलग अलग नाजायज असलहे व भारी मात्रा में जिन्दा व खोखा कारतूस (पेटी सहित) बरामद हुआ। जिसका विवरण निम्नवत है। अभियुक्तगणों को थाना लाकर इनके विरुद्ध मु०अ०सं० 74/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम लाल मोहम्मद उर्फ लालू उपरोक्त, मु०अ०सं० 75/21 धारा 3/25 आयुध अधि० बनाम मुन्ना खॉं, मु०अ०सं० 76/21 धारा 3/25 आयुध अधि० बनाम इस्माइल खॉं थाना मोहम्मदी जनपद खीरी पंजीकृत कर चालान मा०न्यायालय किया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि अभियुक्तगण, पूर्व से अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं। जिनका आपराधिक इतिहास थाना हाजा पर मौजूद है।

नाम पता अभियुक्त

1. लाल मोहम्मद उर्फ लालू उम्र 35 वर्ष पुत्र दफी अहमद नि० ग्राम खजुरिया, थाना मोहम्मदी
2. मुन्ना खॉं पुत्र दफी अहमद उम्र 39 वर्ष नि० उपरोक्त
3. इस्माइल पुत्र अफलातून उम्र 33 वर्ष नि० उपरोक्त।

बरामदगी का विवरण

- 1- अभियुक्त लाल मोहम्मदी उर्फ लालू उपरोक्त के कब्जे से एक अदद देशी बन्दूक 12 बोर मय 25 अदद जिन्दा व 05 अदद खोखा कारतूस 12 बोर पेटी सहित बरामद हुआ।
- 2- अभियुक्त मुन्ना खॉं उपरोक्त के कब्जे से एक अदद देशी रायफल 315 बोर मय 06 अदद जिन्दा कारतूस 01 अदद खोखा कारतूस बरामद हुआ।
- 3- अभियुक्त इस्माइल उपरोक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमन्चा 315 बोर मय 03 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।

थाना मितौली पुलिस द्वारा 02 नफर वांछित अभियुक्तगण को किया गया

गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जपनद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के दौरान दिनांक 13.02.2021 को थाना मितौली पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गण अयूब पुत्र मोइन व चिराग अली पुत्र सफी निवासी गण कस्ता थाना मितौली जिला खीरी को गिरफ्तार किया गया, जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 27/21 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम एवं 37/21 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम अधिनियम पंजीकृत है उक्त दोनों आरोपियों को विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अ0सं0 421/19 धारा 354ख भादवि व 7/8 पाकसों एक्ट में वारंटी अभियुक्त सोनू पुत्र लालजीत नि0 विचपरी थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अ0सं0 2512/16 धारा 25 आर्म्स एक्ट में वारंटी अभियुक्त सर्वेश उर्फ वंशी पुत्र बाबूराम नि0 लेखापुर थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **90 लीटर अवैध कच्ची शराब, 01 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार** किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना कोतवाली सदर	40 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना सिगांही	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना मैलानी	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना फूलबेहड़	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना खीरी	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	90 लीटर	07 अभियुक्त गिरफ्तार